(वाद सं0.-3159/2019)

22.02.2021

प्रसंगाधीन मामला परिवादी, प्रसेन्द्र कुमार तिवारी, के 20 वर्षीय पुत्र , सौरभ कुमार तिवारी, को विधुत स्पर्शाधात से मृत्यु हो जाने के उपरान्त सरकार द्वारा मुआवजा राशि प्रदान नहीं किये जाने से संबंधित है।

उक्त के संबंध में **अवर सचिव, नॉर्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कम्पनी लिमिटेड, पटना** के प्रतिवेदन के साथ अनुलग्नित **उप सचिव, नॉर्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कम्पनी लिमिटेड, पटना** के द्वारा प्रतिवेदित किया गया है " **स्व0 सौरभ कुमार तिवारी की दिनांक 06–06–19 को मृत्यु होने के संबंध में क्षेत्रीय कार्यालय से प्राप्त धटना का जॉच प्रतिवेदन एवं अन्य आवश्यक कागजात के आलोक में कम्पनी के का0 आ0 सं0–2677, ज्ञापांक–1029 दिनांक –18.12.19 (प्रति संलग्न) द्वारा मुआवजा राशि ₹ 4,00,000/-(रूपये चार लाख मात्र) की स्वीकृति प्रदान की गयी है। उक्त राशि ₹ 4,00,000/-(रूपये चार लाख मात्र) का भुगतान चेक सं0–277675, दिनांक–23.12.2019 द्वारा मृतक के उत्तराधिकारी को किया गया है।"**

अब जबकि राज्य आयोग के आदेश के अनुपालन में परिवादी के शिकायत का संबंधित प्राधिकार द्वारा समाधान कर अनुमान्य क्षतिपूर्ति का भुगतान कर दिया गया है तो ऐसी परिस्थिति में **अवर सचिव, नॉर्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कम्पनी लिमिटेड, पटना** के प्रतिवेदन को स्वीकार करते हुए प्रसंगाधीन मामले को मानवाधिकार अतिक्रमण की श्रेणी में ना पाकर प्रस्तुत संचिका को राज्य आयोग के स्तर पर **संचिकास्त** किया जाता है।

तद्नुसार **अवर सचिव, नॉर्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कम्पनी लिमिटेड, पटना** से प्राप्त प्रतिवेदन (अनुलग्नको संहित) की प्रति संलग्न करते हुए आज पारित आदेष की प्रति के साथ **परिवादी** को सूचित कर दिया जाय।

(उज्ज्वल कुमार दुबे)

सदस्य

निबंधक